न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), शाहजहॉपुर।

परिवाद सं0–58/2019

मैना देवी बनाम विशेश्वर सिंह आदि

20–07–2019:

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवादिनी की ओर से अभियुक्तगण/विपक्षीगण विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, पाल सिंह व बब्लू सिंह के विरूद्ध दिये गये प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0 प्र0 सं0 को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22–04–2019 द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। प्रार्थना–पत्र के अनुसार वह जाति की पासी है और उसके मकान के पास से रास्ता है। रास्ते पर गॉव के विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, बब्लू सिंह व पाल सिंह आदि ठाकुर बिरादरी के लोग जबरदस्ती नींव भरना चाहते हैं। उसने दिनांक 22–03–2019 को उक्त लोगों को रास्ता बंद करने से मना किया था तो सभी लोग उसको मां–बहन की तथा जाति सूचक पसनिया कहकर गालियां देने लगे और कहा कि उसका रास्ता बंद कर देंगे। दिनांक 25–03–2019 को समय करीब 10 बजे दिन उपरोक्त सभी लोग उसके मकान में घुसकर एकराय होकर मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां व जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी डंडों से उसे व उसके परिवार वालों को मारने पीटने लगे, जिससे उसे व परिवार वालों को चोटें आयीं तथा जबरदस्ती मकान के सामने नींव भर दी, जिससे वह अपने मकान से नहीं निकल पा रही है। उपरोक्त सभी मुलजिमान ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। उसके शोर पर गॉव के काफी लोग आ गये व उन्हें बचाया। वह उसी दिन थाना खुटार गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 26–03–2019 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर को प्रार्थना पत्र दिया कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसने इस न्यायालय में उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह परिवाद पंजीकृत किया गया है।

परिवादिनी की ओर से धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 दाताराम व पी0डब्लू0–2 शिव कुमार को परीक्षित कराया गया।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अपने साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0 सं0 में यह साक्ष्य दिया है कि विशेश्वर सिंह उसके मकान के सामने दीवार बना रहे थे। उसने दीवार बनाने से मना किया तो विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, पाल सिंह, बब्लू सिंह उसके घर में घुस आये तथा उसे व उसके बच्चों को डंडों से मारा। आर0एन0 सिंह ने उसके लड़के को थप्पड़ मारा तथा गंदी–गंदी गालियां दीं और कहा कि हम ठाकुर लोग इधर रहते हैं, इधर से तुम पसनियों को निकलने नहीं देंगे। उसके शरीर में चोटें आयी थीं। उसके लड़के गोविन्द के भी चोट आयी थी। प्राईवेट डॉक्टर को दिखाया था। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित किये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 ने भी अपने सशपथ साक्ष्य से परिवादिनी द्वारा धारा–200 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिये गये साक्ष्य का समर्थन किया है। पी0डब्लू0 1 दाताराम ने अपने बयान में कहा है कि मैना देवी बचाने के लिए जोर–जोर से चिल्लाई तब वह तथा गॉव के दाताराम, शिव कुमार तथा गॉव के काफी लोग इकट्ठा हो गये। तब मैना देवी व परिवार वालों को बचाया। उपरोक्त सभी मुलजिमान मैना देवी को जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर किये, जिससे मैना देवी बाल–बाल बच गयी और मैना देवी को जाति सूचक शब्द से गालियां देते हुए भाग गये।

यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवादिनी ने अपने धारा 200 दं0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्तगण की ओर से फायर करने का कोई कथन नहीं किया गया है।

अतः परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0 प्र0

सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0 डब्लू0–1 व पी0 डब्लू0–2 के साक्ष्य तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस का मत है कि विपक्षीगण विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, पाल सिंह व बब्लू सिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, पाल सिंह व बब्लू सिंह उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

विपक्षीगण/अभियुक्तगण विशेश्वर सिंह, आर0एन0 सिंह, पाल सिंह व बब्लू सिंह को धारा–452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादिनी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः –07–2019 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
शाहजहॉपुर।